रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम०/13-14/95.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 4 अक्तूबर, 1995/12 आश्विन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

कांगड़ा, 22 सितम्बर, 1995

संख्या 8956-9078.—मैं, मनीषा श्रीधर (भा०प्र०से०), जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारण सम्बन्धी पिछले समस्त आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ० डी० एम० 3(2) 77 दिनांक 30-10-1980 द्वारा संशोधित है, की धारा 3(1)(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं क

2982-राजपत्र/95-4-10-95—1,232. (4059) मूल्य : 1 रुपया ।

समस्त करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने के जनहित में आदेश देती हूं :—

क्रम संख्या	शैडयूल अनुसार वस्तु क्रमांक	आवश्यक वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम विक्रय मूल्य
1	2	3	4
1.	2	डब्बल रोटी	1. 3.00 रुपये 75 पैसे प्रति डब्बल रोटी वजन 400 ग्राम जो कि मोमजामी कागज में बन्द हो । 2. 7 रुपए 00 पैसे प्रति डब्बल रोटी वजन 800 ग्राम जो कि मोमजामी कागज में बन्द हो ।
2.	12	मीट/मुर्गा/मछली :	
		1. मीट बकरा	50.00 रुपये प्रति किलोग्राम
		2. मीट भेड़ा	46.00 ,, ,,
		3. मीट सूअर	35.00 ,, ,,
		4. मुर्गा ड्रैस्ड	48.00 ,, ,,
		5. मुर्गा जीवित	38.00 ,, ,,
		6. ब्रायलर ड्रैस्ड	54.00 ,, ,,
		7. बकेजी	52.00 ,, ,,
		8. मछली :	
		मछली संघाड़ा, कतला, मिगकार्प सिल्वर, राहू तथा महाशेर) ।	कच्ची ड्रैस्ड 36.00 रुपये प्रति किलो तली हुई फुल फाईट 60.00 रुपये प्रति किलो
		नोट :—मीट बकरा, मेढ़ा, सुअर, मुर्गा का सिरी, पोटी रहित साफ सुथरा हो ।	
3.	17	होटल ढाबों में परोसे जाने वाला खाना जो कि पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत न हो:—	
		1. दाल सब्जी व चावल सुपर पाईन सहित पूर्ण खुराक ।	10.00 रु० प्रति खुराक
		2. स्पैशल सब्जी (चना, राजमाह, आलू-मटर । शिमला मिर्च व पालक-मटर)	8.00 प्रति प्लेट
		3. चपाती, 1. तन्दूरी	1.00 रु० प्रति एक
		2. तवे वाली	0.75 ,, ,,

1	2	3	4
		4. चिकनी करी	20.00 रु० प्रति प्लेट
		5. चना मसाला	8.00 ,, ,,
		6. मीट ,,	18.00 ,, ,,
		7. मटर पनीर	10.00 ,, ,,
		8. पालक पनीर	10.00 ,, ,,
		9. दाल फ्राईड	4.00 ,, ,,
		10. परौंठा प्लेन	2.00 रु० प्रति एक
		11. परौंठा स्टफड	2.50 ,, ,,
		12. चावल परमल	5.00 रु० प्रति प्लेट
		13. रायता	4.00 ,, ,,
4.	18	दूध दही व पनीर :	
		(क) 1. दूध टोण्ड जो कि हि० प्र० सहकारी संघ व बेरका द्वारा निर्मित पोलीथीन थैलियों में रखा जाता है।	9.00 रु० प्रति लीटर
		(ख) दूध कच्चा जो कि दोधियों व हलवाईयों द्वारा बेचा जाता है।	9.00 रु० प्रति किलो
		(ग) दूध गर्म चीनी डालकर	10.00 ,, ,,
		(घ) दूध उबला हुआ	9.50 ,, ,,
		2. दही	12.00 ,, ,,
		3. पनीर	54.00 ,, ,,
5.	20	ठण्डे पेय पदार्थ :	

	250 मि० ली०	200 मि० ली०
(क) थम्जअप, लिमका, कैम्पा इत्यादि		
1. अन चिल्ड	5.00 रुपये	4.00 रुपये
2. चिल्ड	5.50 रुपये	4.50 ,,
(ख) बिसलरी सोडा :		
1. अन चिल्ड	3.00 ,,	
2. चिल्ड	3.25 ,,	
(ग) लोकल चिल्ड (सैवन स्टार, औरेंज, लिमका, लैमन आदि)		
1. अन-चिल्ड	2.75 ,,	
2. चिल्ड	3.00 ,,	

1	2	3	4

(ग) नालेज सिलेंडर वापस लौटाने :

1. 5 किलो सिलेंडर	1.75 रुपये
2. 10 किलो सिलेंडर	2.00 रुपये

यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात् एक मास की अवधि तक लागू रहेगी।

मनीषा शंकर,
जिला दण्डाधिकारी।
कांगड़ा जिला ऊना।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

ऊना, 25 सितम्बर, 1995

संख्या भा0 रा0/95/4284-4353.—मैं, वी0 के0 अग्रवाल, भा0 प्र0 से0, जिला दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना में द्रवित पैट्रोलियम गैस सिलैण्डर के विक्रय सम्बन्धी सिलैंडर सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला ऊना में कार्यरत समस्त एल0 पी0 जी0 के विक्रेताओं द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को तथा व्यापारिक संस्थानों शहरी क्षेत्र और जिले के अन्य अधिसूचित विस्तार क्षेत्रों में आपूर्ति किये जाने वाले गैस सिलैण्डरों की सभी श्रेणी शहरी क्षेत्र में होम डिलीवरी व विस्तार क्षेत्रों के लिए विक्रय मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूं :—

क्रम सं0	गैस एजेंसी का नाम	क्षेत्र का नाम	कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रति सिलैण्डर मूल्य	परिवहन/मजदूरी भाड़ा	उपभोक्ता द्वारा देय प्रति सिलैण्डर मूल्य
1	2	3	4	5	6
अनुसूची-I					
भाग I					
	(वजन 14.2 किलोग्राम प्रति सिलैण्डर) घरेलू उपयोग हेतु :				
1	मैसर्ज भगवान गैस एजेंसी ऊना।	ऊना शहर मलाहन खड्डपार रक्कड़ कलोनी पुलिस लाईंस मंदौरा स्कूल पं चुकेती	98.14	6.36	104.50
	—व्यापारिक—	वजन 19 किलोग्राम प्रति सिलैण्डर व्यापारिक संस्थानों के लिए :			
		व्यापारिक स्थान	318.66	6.94	325.60

1	2	3	4	5	6
2.	हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम गैस एजैन्सी, अम्ब।	(वजन 14.2 किलोग्राम प्रति सिलैण्डर) घरेलू उपयोग हेतु 1. अम्ब पंचायत क्षेत्र।	98.22	6.28	104.50
	अथोपोर–	वजन 19 किलोग्राम प्रति सिलैण्डर व्यापारिक संस्थानों के लिए : उपरोक्त स्थान	318.77	6.83	325.60
	हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति गैस एजैन्सी अम्ब।	(वजन 14.2 किलोग्राम प्रति सिलैण्डर) घरेलू उपयोग हेतु :			
	प्रस्तावित विस्तार बिन्दुओं के डीलर हि.प्र.रा.ना.आ. निगम अम्ब।	1. गगरेट	98.22	8.28	106.50
		2. दौलतपुर	98.22	11.28	109.50
		3. चिन्तपूर्णी/ भरवाई	98.22	11.28	109.50

आम शर्तें :

1. गैस डीलर उपभोक्ताओं को आपूर्ति समय कैशमीमो पर यह लिखेगा कि उन्हें गैस सिलैण्डर की आपूर्ति/ डिलीवरी घर पर अथवा फोकल प्वाईंट पर की गई है तथा उनके हस्ताक्षर भी लेगा।

2. कोई भी एल. पी. जी. डीलर निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा।

3. एल. पी. जी. डीलर वितरित गैस सिलैण्डर की प्राप्ति एवं वितरण का लेखा ठीक ढंग से बनाएंगे जो कि अधिकृत निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी को निरीक्षण के समय मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

4. गैस डीलर उपभोक्ताओं को जारी गैस सिलैण्डर का कैशमीमो की डुप्लीकेट प्रति जिसमें उपभोक्ता का स्पष्ट तौर पर नाम व पता व फोन एक पर दर्शाई गई लाईन अंकित हो और उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर हों अपने पास अभिलेख में रखेंगे जो कि निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करने होंगे।

5. एल0 पी0 जी0 डीलर अपने व्यापारिक संस्थान के सहज दृष्टिगत स्थान पर दैनिक एल0 पी0 जी0 स्टाक स्थिति व एल0 पी0 जी0 का होम डिलीवरी मूल्य प्रदर्शित करने होंगे।

6. एल0 पी0 जी0 डीलर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, ऊना को गैस सिलैण्डरों की प्राप्ति एवं बिक्री की साप्ताहिक/मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजेंगे।

7. उपभोक्ताओं को गैस डीलर तुरन्त या जैसी भी स्थिति होगी सिलैण्डर को बुकिंग क्रमांक जारी करेंगे।

8. उपभोक्ताओं को रिफिल बुक करवाने की अवधि निम्न प्रकार से होगी :

दो सिलैण्डर वाले उपभोक्ताओं हेतु एक सिलैण्डर वाले उपभोक्ताओं हेतु	21 दिन

9. कोई भी एल0पी0 जी0 डीलर उपभोक्ताओं को नया गैस कनैक्शन जारी करते समय गैस स्टोव क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा गैस कनैक्शन वरिष्ठता की प्राथमिकता देकर जारी करेंगे ।

यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश, राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात् एक माह की अवधि अथवा अगली अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगी ।

(बी0 के0 अग्रवाल)
जिला दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।